संख्या-25/2019/1321/22-2-2019-17(684)/2019

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महनिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 25 फरवरी, 2019***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरूण सिंह उर्फ राजेश भदौरिया पुत्र श्री बेताल सिंह, निवासी जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1643/प्रोबेशन-3(एम-08.01.2019) दिनांक 21.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरूण सिंह उर्फ राजेश भदौरिया पुत्र श्री बेताल सिंह, जो-म0नं0-111ए/392 अशोक नगर, थाना-नजीराबाद, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। चक्रेश अवस्थी ने अभियुक्तगण के मकान के पास ही एक मकान अमूल हितकारी से खरीदा था जिस पर बन्दी व उसके 03 सहअभियुक्त कब्जा करना चाहते थे। इसी रंजिश में बन्दी ने दिनांक 30.10.2001 को सायं 07:00 बजे लगभग रायफल, बन्दूक व तमंचा से चक्रेश वा आशू की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-527, 528/2002 में भा0द0सं0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 06.10.2001 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.11.2004 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.08.2018 तक 15 वर्ष 05 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 06 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि चक्रेश अवस्थी ने अभियुक्तगण के मकान के पास ही एक मकान अमूल हितकारी से खरीदा था जिस पर बन्दी व उसके 03 सहअभियुक्त कब्जा करना चाहते थे। इसी रंजिश में दिनांक 30.10.2001 को सायं 07:00 बजे लगभग रायफल, बन्दूक व तमंचा से चक्रेश वा आशू की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 50 वर्ष 07 माह लगभग है व शारीरिक रूप से अशक्त नहीं है, बन्दी के अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट ने समिति की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अरूण सिंह उर्फ राजेश भदौरिया पुत्र श्री बेताल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अरूण सिंह उर्फ राजेश भदौरिया (बन्दी संख्या-14956) पुत्र श्री बेताल सिंह निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-25/2019/1321(1)/22-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-25/2019/1321/22-2-2019-17(684)/2019

दिनांक 14 फरवरी, 2019 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अरूण सिंह उर्फ राजेश भदौरिया पुत्र श्री बेताल सिंह, जो-म0नं0-111ए/392 अशोक नगर, थाना-नजीराबाद, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। चक्रेश अवस्थी ने अभियुक्तगण के मकान के पास ही एक मकान अमूल हितकारी से खरीदा था जिस पर बन्दी व उसके 03 सहअभियुक्त कब्जा करना चाहते थे। इसी रंजिश में बंदी ने दिनांक 30.10.2001 को सायं 07:00 बजे लगभग रायफल, बन्दूक व तमंचा से चक्रेश वा आशू की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-527, 528/2002 में भा0द0सं0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 06.10.2001 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.11.2004 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.08.2018 तक 15 वर्ष 05 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 06 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि चक्रेश अवस्थी ने अभियुक्तगण के मकान के पास ही एक मकान अमूल हितकारी से खरीदा था जिस पर बन्दी व उसके 03 सहअभियुक्त कब्जा करना चाहते थे। इसी रंजिश में दिनांक 30.10.2001 को सायं 07:00 बजे लगभग रायफल, बन्दूक व तमंचा से चक्रेश वा आशू की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 50 वर्ष 07 माह लगभग है व शारीरिक रूप से अशक्त नहीं है, बन्दी के अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट ने समिति की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अरूण सिंह उर्फ राजेश भदौरिया पुत्र श्री बेताल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in